



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

No. 900]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1362(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2011 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रजिस्ट्रार	5 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-13 (रु. 123100-215900/-)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा उप रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/-रु.) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता।

	<p>टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो :</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेतन 7600/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ; या</p> <p>(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु., ग्रेड वेतन 6600 रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के पद पर दस वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों ।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य ;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्टी - सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य ।</p>	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप रजिस्ट्रार	5 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-12 (रु. 78800 - 209200)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निःशेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्वयधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा।</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसा सहायक रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700/- रु.) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की हों।</p> <p>टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो :</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेतन 6600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नाम नामनिर्देशित- सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. सहायक रजिस्ट्रार	5 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 - 208700/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निःशेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा।</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसे अधिकारी जो विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु. 53100-167800) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु. 47600-151100) के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो :</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- में ग्रेड वेतन 5400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 में पांच वर्ष की या ग्रेड वेतन 4800/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में छह वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में सात वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. उप लेखा नियंत्रक	1 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 - 208700/-).	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा लेखाधिकारी जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु 53100-167800/-) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;	लागू नहीं होता।

	<p>टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में 6600/-रु. के ग्रेड वेतनमान में उप लेखा नियंत्रक या सदृश पद धारण किए हों या जो 5400/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों या जो 4800/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय में 4200/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में रोकड़, लेखा, बजट के क्षेत्र में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।</p>	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. प्रधान निजी सचिव	1 *(2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 - 208700/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति:- निजी सचिव जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु 47600-151100/-) के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण किए हुए हों और जो :</p> <p>क (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; अथवा</p> <p>(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4200/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ; और</p> <p>ख. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।</p> <p>अनिवार्य :- कम्प्यूटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान</p> <p>वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशित - सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. हिंदी अधिकारी	1 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-9 (रु.53100-167800/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति:- हिंदी अनुवादक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों ।</p> <p>टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- (i) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या</p> <p>(ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4800/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 ग्रेड वेतन में दो वर्ष की नियमित सेवा या 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा या 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार,</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;</p> <p>(4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य ।</p>	लागू नहीं होता

	<p>प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. लेखा अधिकारी	1 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-9 (रु. 53100-167800/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसे लेखाकार जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400) के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- (क) ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>

	<p>(ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4600/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा या 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।</p> <p>वांछनीय : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण ;</p> <p>(ii) आईएसटीएम में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.अनुभाग अधिकारी	11 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-8 (रु. 47600 - 151100/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति:- ऐसे सहायक (न्यायिक) जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेतन में छह	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता ।

<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निःशेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा।</p>	<p>वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो :</p> <p>(क) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या</p> <p>(ख) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p>अनिवार्य : कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान</p> <p>टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।</p>	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. निजी सचिव	21 * (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-8 (रु. 47600-151,100/-)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निःशेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा।</p>	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: अधिकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारण किए हुए हो और,-</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ कोर्ट मास्टर या आशुलिपिक श्रेणी-1 का पद धारण किए हुए हो और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

	<p>आवश्यक : मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।</p> <p>वांछनीय : विधि में डिग्री ।</p> <p>टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>10. सहायक (न्यायिक) # राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सहायक पद की नाम पद्धति को सहायक (न्यायिक) पढा जाएगा।</p>	<p>17 * (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>स्तर-6 (रु. 35400 -112400/-)</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>21 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी</p>	<p>आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम</p> <p>वांछनीय : पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान एक विषय के रूप में के साथ डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी ; या सरकारी कार्यालय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।</p>

					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव रखते हों।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. पुस्तकालयाध्यक्ष	5 * (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400 -112400/-)	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव। बांछनीय : मान्यताप्राप्त संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12 आशुलिपिक श्रेणी - 1	21 * (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400 - 112400/-)	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और	आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) कौशल परीक्षण:- श्रुतलेख : 100 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट अनुलिपिकरण :- कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) ; 65 मिनट (हिंदी); (iii) मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

				स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री		
--	--	--	--	--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारण किए हुए हो और,-</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में आशुलिपिक श्रेणी-1 या समतुल्य पद धारण किए हुए हो और आशुलिपि (हिंदी/अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।</p> <p>वांछनीय: मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।</p> <p>टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. हिंदी अनुवादक	5*(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)	लागू नहीं होता।	23 से 32 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसके साथ अंग्रेजी या हिंदी आवश्यक या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो। (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में छह वर्ष या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	<p>प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2800/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में छह वर्ष या वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों :-</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;</p> <p>(ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और</p> <p>(iii) मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी - 1	2 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-5 (रु. 29200-92300/-)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1। जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता।

<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों :-</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;</p> <p>(ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और</p> <p>(iii) मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।</p>	
-----------------------------	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी - II	6 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (रु. 25500-81100/-)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/- रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 1900/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों :-</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन;</p> <p>(ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और</p> <p>(iii) मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;</p> <p>(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. लेखापाल	5 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य (बी.काम) में बैचलर डिग्री; (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकायों में नकद, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में चयन समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन समिति के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर चयन समिति की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. आशुलिपिक श्रेणी II	12 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं होता	21 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कौशल परीक्षण सन्नियम :- श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट अनुलिपिकरण :- कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) ; 65 मिनट (हिंदी);	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार -सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	12 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (रु. 19900-63200/-)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा	आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (ii) मोटरकारों के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। (iii) किसी मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव; (iv) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए।) वांछनीय:- मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	होना चाहिए।)		
--	--	--	--	--	---	--------------	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (भाग)]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) तारीख 17 जून, 2011 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2016 द्वारा अंतिम सशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

G.S.R 1362(E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Registrar	5 *(2017). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level-13 (Rs.123100-215900/-).	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Deputy Registrar with five years of service in pay matrix Level 12 (Rs. 78800-209200/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;</p> <p>(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(4) Expert Member to be nominated by</p>	Not applicable.

	<p>successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelors degree in law from a recognised university and holding-</p> <p>(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pre revised pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- i.e. Level 12 in the Pay Matrix ; or</p> <p>(c) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years regular service in pre revised pay band -3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/- i.e. Level 11 in the Pay Matrix.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the</p>	<p>the Chairperson of the Tribunal - Member.</p>	
--	--	--	--

	Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Deputy Registrar.	5 *(2017) *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level- 12 (Rs. 78800-209200/-)	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post.	<p>Promotion: Assistant Registrar with five years service in pay matrix Level 11 (Rs. 67700-208700/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing Bachelors degree in Law from a recognised university and holding;</p> <p>(a) analogous post on regular basis in Central Government</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;</p> <p>(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member.</p>	Not applicable.

	<p>or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- i.e. Level-11 in the Pay Matrix.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Assistant Registrar.	5 *(2017) *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -11 (Rs. 67700-208700/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of	<p>Promotion: Officers possessing Bachelors Law degree with five years of service in pay matrix Level 9 (Rs. 53100-167800/-) or six years of service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;</p> <p>(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment,</p>	Not applicable.

20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post.	<p>eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelors degree in Law from a recognised university and holding-</p> <p>(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix or six years regular service in grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level- 8 in the Pay Matrix or seven years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member.</p>
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Deputy Controller of Accounts.	1 *(2017) * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level -11 (Rs. 67700-208700/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
------	------	------	------

<p>By promotion failing which by deputation.</p>	<p>Promotion: Accounts Officer with five years of service in pay matrix Level 9 (Rs. 53100-167800/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers working as Deputy Controller of Accounts or equivalent in the Central Government or State Government or court or tribunal in the grade pay of Rs. 6600/- or officers in grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix with five years regular service or grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix with six years of regular service or seven years of regular service in the grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or in the grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix, with ten years of regular service in the field of accounts, budget, cash in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;</p> <p>(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member.</p>	<p>Not applicable.</p>
--	---	--	------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Principal Private Secretary.	1*(2017). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level -11 (Rs. 67700-208700/-).	Non -selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
---------------------------------	---	----------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Private Secretary with six years of service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,-</p> <p>A. (1) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(2) post in Central Government or State Government or courts or tribunal with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- in the grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix or seven years of regular service, or in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix; and</p> <p>B. possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi).</p> <p>Essential: Working knowledge of computer operations.</p> <p>Desirable: Computer Training Course of six months' duration from a recognised institution.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal- Chairman;</p> <p>(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;</p> <p>(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member.</p>	Not applicable.

	<p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Hindi Officer.	1 *(2017) * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -9 Rs. 53100-167800/-).	Non- selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Hindi Translator with eight years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: (i) Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (ii) officers holding the posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal</p>	Not applicable.

	<p>grade pay of Rs 4800/ i.e. Level -8 in the Pay Matrix with two years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6, in the Pay Matrix in the respective grade pay in Central Government or State Governments or courts or tribunals.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	- Member.	
--	---	-----------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Accounts Officer.	1*(2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -9 Rs. 53100-167800/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Senior Accountant with eight years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate</p>	Not applicable.

	<p>less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,-</p> <p>(i) analogous post on regular basis in Central Governments or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(ii) post in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with three years regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix grade pay Central Government or State Governments or courts or tribunals.</p> <p>Desirable: (i) A pass in Subordinate Account Service examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or State Government;</p> <p>(ii) successful completion of training in cash and accounts work in ISTM and experience in handling cash; accounts and budget work.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Change or his nominee -Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Section Officer.	11*(2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -8 (Rs.47600-151100/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
------	------	------	------

<p>By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post.</p>	<p>Promotion: Assistant (Judicial) with six years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelor degree in law from a recognised university and holding,-</p> <p>(a) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals; or</p> <p>(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with six years of regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix.</p> <p>Essential: Knowledge in computer operation.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>	<p>Not applicable.</p>
---	--	---	------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Private	21 *(2017).	Not applicable	Level -8	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Secretary.	* Subject to variation depending upon workload.		(Rs.47600-151100/-).					
------------	---	--	----------------------	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post.</p>	<p>Promotion: Stenographer Grade – I with six years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from recognised university and holding,-</p> <p>(i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Government or courts or tribunals; or</p> <p>(ii) the post of Court Master or Stenographer Grade-I with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay Rs 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing (English) in Central Government or State Governments or courts or tribunals.</p> <p>Essential: Computer Training Course of six months' duration from a recognised institute.</p> <p>Desirable: Degree in law.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>	Not applicable

	<p>the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Assistant (Judicial). # The Nomenclature of posts of Assistant in the National Green Tribunal may be read as Assistant (Judicial).	17 * (2017) * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Not applicable	Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential:- (i) Bachelor Degree in Law from a recognised university; and (ii) Computer Training Course of six months duration from a recognised institute. Desirable:- Preference shall be given to candidates possessing a degree with Environmental Studies or Environmental Science as one of the subjects; or having two years working experience in the field of environment in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	(12)						(13)
<p>By direct recruitment.</p> <p>Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.</p>	Not applicable.	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>						Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Librarian.	5 *(2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400-112400/-).	Not applicable.	<p>Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or Institute;</p> <p>(ii) two years' experience in a library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational</p>	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	institute. Desirable: Diploma in Computer Applications from a recognised institute.		
(10)	(11)	(12)					(13)	
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.					Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Stenographer Grade – I.	21 *(2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400-112400/-).	Not applicable.	Between 21 and 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central	Essential: (i) Bachelors degree from a recognised university. (ii) Skill Test:- Dictation: 10 Mts. @ 100 w.p.m.	Not applicable.	Two years for Direct Recruits. Note.- The period of two years shall

				Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Transcription:- 50 mts (English); 65 Mts. (Hindi) on computer; (iii) Computer training course of six months duration from a recognised institute. Desirable: Bachelor Degree in Law from a recognised university.		include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.
(10)	(11)	(12)	(13)				
(i) 50 percent by direct recruitment. (ii) 50 percent by promotion failing which by deputation.	Promotion: From amongst Stenographer Grade –II with ten years of service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers possessing bachelor degree from a recognised university and holding;	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;	Not applicable.				

	<p>(i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals,</p> <p>(ii) The post of Stenographer Grade-I or equivalent post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years of regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- of grade pay- Rs. 2400/- Level -4 in Pay Matrix and possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi).</p> <p>Desirable: Computer training of six months' duration from a recognised institute.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	(4) Registrar of the Tribunal – Member.	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Hindi Translator.	5 * (2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400-112400/-).	Not applicable.	Between 23 and 32 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam,	Essential Qualification: (i) Master's Degree in Hindi or English with English or Hindi as compulsory or elective subject or as medium of examination at Degree level from a recognised university; (ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government including Government of India undertakings.		two weeks duration.
--	--	--	--	--	---	---	--	---------------------

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee - Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. Staff Car Driver - (Special Grade).	1 * (2017). *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400-112400/-).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Staff Car Driver - Grade-I in the National Green Tribunal with six years regular service in pay matrix Level 5 (Rs. 29200-92300/-) or ten years of service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-) and have passed the trade test specified by the Government.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Persons holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or six years regular service in pay band – I, Rs 5200-20200/- plus grade pay – Rs. 2800/- i.e. Level-5 in the Pay Matrix or ten years of service in pay band-I Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- i.e. Level -4 in the Pay Matrix in Central Government or State Government or courts or tribunals and having the following qualification and experience:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more. <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member. 	Not applicable.

	Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. Staff Car Driver – Grade- I.	2 * (2017). *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -5 (Rs.29200-92300/-).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Staff Car Driver - Grade-II in the National Green Tribunal with five years regular service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-)and have passed the trade test specified by the Government.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Persons holding analogous post on regular basis in Central Government or State Governments or courts or tribunals; or five years of regular service in pay band – I, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- i.e. Level-4 in the Pay Matrix in Central Government or State Governments or courts or tribunals and having the following qualification and experience:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board;</p> <p>(ii) valid driving licence for motor cars; and</p> <p>(iii) experience of driving a motor car for three years or more.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;</p> <p>(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>	Not applicable.

	<p>of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. Staff Car Driver – Grade –II.	6 * (2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -4 (Rs. 25500-81100/-).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the National Green Tribunal with eight years regular service in pay matrix Level 1 (Rs. 18000-56900/-) and have passed the trade test specified by the Government.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Persons holding analogous post on regular basis in Central Government or State Governments or courts or tribunals; or eight years regular service in pay band – I, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/- i.e. Level - 2 in the Pay Matrix in Central Government or State Governments or courts or tribunals and having the following qualification and experience:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board;</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;</p> <p>(2) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;</p> <p>(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;</p> <p>(4) Registrar of the Tribunal – Member.</p>	Not applicable.

	<p>(ii) valid driving licence for motor cars; and</p> <p>(iii) experience of driving a motor car for three years or more.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. Accountant.	5 * (2017). *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -4 (Rs.25500-81100/-).	Not applicable	Between 21 and 30 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba	(i) Bachelor of Commerce (B.Com) degree from a recognised university; (ii) two years experience in cash, account and budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates who are otherwise well qualified. Note 2.- Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Selection Committee in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

					district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	any stage of selection, the Selection Committee is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. Stenographer Grade – II.	12 *(2017). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -4 (Rs.25500-81100/-).	Not applicable.	Between 21 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	12 th class pass from a recognised Board. Skill Test Norms:- Dictation:- 10 mts. @ 80 w.p.m Transcription:- 50 mts. (English); 65 mts. (Hindi) on computer.	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

					Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

19. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	12 * (2017). *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -2 (Rs.19900-63200/-).	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with (the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) Possession of a valid driving licence for motor cars; (iii) Experience of driving a motor car for three years or more; and (iv) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle). Desirable: knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to rectify the minor defects in vehicles).	Not applicable	Two years for direct recruits. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.
--	---	----------------	------------------------------	----------------	---	--	----------------	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;	Not applicable.”.

		(4) Registrar of the Tribunal	– Member.	
--	--	-------------------------------	-----------	--

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 458(E), dated the 17th June, 2011 and subsequently amended *vide* notification G.S.R. 437(E), dated the 21st April, 2016.